Email: cswriavikanagar@yahoo.com दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

Dated 14-3-2018

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for प्रयोगात्मक इकाई ब्लाक 12 (प ु पोषण सेक्टर के पीछे) पर करवाये जाने वाले कृि कार्य का अनुबंध/जोब कोन्ट्रेक्ट at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.** Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	SP/contract proposal/2017-18/ 9
Date and Time for issue/Publishing	14-3-2018 at 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	15-3-2018 at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	15-3-2018at 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	02-4-2018 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	03-4-2018 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.500/- Earnest money – Rs.6000-00 Security money – 5 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.

4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.500/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**

7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of TIN/TAN Number
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
6. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
7. Any additional required documents mentioned in the Terms and conditions of the Tender

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(386)एसपी/2018/ दिनांक :14.3.2018

निविदा प्रपत्र सूची

प्रयोगात्मक इकाई ब्लाक 12 (प ु पोषण सेक्टर के पीछे) पर करवाये जाने वाले कृि कार्य का अनुबन्ध ।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य
1.	प्रायोगिक प्रक्षेत्र में झाड़ियों एवं अवांछित सुखे पेड़ों की कटाई, छंगाई एवं सफाई करना।	7 हैक्टर
2.	प्रक्षेत्र में एम. बी. प्लो तीन बार गहरी जुताई करवाकर झाड़ों की जडों को एकत्रित कर प्रक्षेत्र को झाड़ रहित करना। एम. बी. प्लो व ट्रेक्टर अनुबन्धकर्ता को लाना होगा।	7 हैक्टर
3.	भेड़ों के बाड़ों से मैंगनी की खाद प्रायोगिक प्रक्षेत्र पर डालना तथा निर्दे ाानुसार समानरूप से बिखेरना। (ट्रेक्टर–ट्राली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।)	70 ट्राली
4.	सेंक्रस व अन्य घास की बुवाई करना।	7 हैक्टर
5.	सेंक्रस घास की आव यकतानुसार निराई व गुड़ाई का कार्य करना।	14 हैक्टर
6.	सैक्रंस घास के बीजों को प्रजाति एवं पकने के अनुसार एकत्रित कर सुखाना तथा विभाग में जमा करवाना।	300 किग्रा.
7.	घास व अन्य चारा फसलों को काटकर वांछिंत स्थान पर डालना एवं व्यवस्थित करना होगा। (ट्रेक्टर – ट्राली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा)	7 हैक्टर
8.	लगाये नये पौधों के गड्ड़ों की मरम्मत करवाना, पौधों की आव यकतानुसार कटाई–छंगाई करवाना, वर्ा भर पानी पिलवाना लगे हुए पौधों की देखभाल एवं सुरक्षा करना प्रक्षेत्र के चारो तरफ लगी हुयी फेन्सिंग की देखभाल करना।	300 पौधें
9.	प्रक्षेत्र में नये पौधे लगवाने हेतु 2'x 2'x 2' साईज के गड्डे खोदना, पौधे लगवाना , वर्ा भर पानी पिलवाना लगे हुए पौधों की देखभाल एवं सुरक्षा करना ।	1000 पौधे

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में द र्ायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भांति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूं कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में द र्ाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त द र्ायी गई दरों पर प्रयोगात्मक इकाई ब्लाक 12 (प ु पोषण सेक्टर के पीछे) पर करवाये जाने वाले कृि कार्य से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में अनुबंध /जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूं। मैं यह वचन देता हूं कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त द र्ाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त द र्ायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं विभागाध्यक्ष, प ु पोषण या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्दे ाानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूंगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूंगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूं तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूं कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूंगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भांति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूंगा।

दिनांक –––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.

प्रयोगात्मक इकाई ब्लाक 12 (प ु पोषण सेक्टर के पीछे) पर करवाये जाने वाले कृ ि कार्य से संबंधित कार्य को अनुबन्ध का कार्य करने के लिये नियम व ार्ते :

1. उक्त कार्य के लिये काम में आने वाले औजार व मजदूर अनुबन्धकर्ता को उपलब्ध करवाना होगा। जुताई, बुआई व ढुलाई के लिये ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा।
2. उपरोक्त कृ ि कार्य अध्यक्ष,प ु पो ाण विभाग के निर्दे ाानुसार किसी भी ब्लॉक/सेक्टर में करवाया जा सकता है।
3. काटे गये सूखे चारे में अगर किसी तरह की मिलावट (खरपतवार) पायी गई तो सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह अनुबन्धकर्ता को स्वीकार्य करना होगा।
4. चारे को आवश्यकतानुसार वांछित एवं निर्देशित स्थानों पर ढ़ेर लगाना, फसलों के अवशेष, घास, वृक्षों की पत्तियाकृ इत्यादि भेड़ों के बाड़े पर डालना होगा।
5. क्यारियाकृडोलियाकृबनाने, फफुकृीना ाक एवं अन्य रसायनों के छिड़कने एवं बुवाई से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य निर्धारित समय पर सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार पूरा करना होगा।
6. फसलों की निराई–गुडाई का कार्य सफाई से करना होगा तथा अनुबन्ध की अवधि के दौरान फसल पूर्ण रूप से खरपतवार रहित होनी चाहिए।
7. विभिन्न घासों के बीजों को एकत्रित करते समय घास की बालियों को नहीं तोड़े तथा एकत्रित किया हुआ बीज बिलकुल साफ एवं पक्का हुआ होना चाहिये। बीजों की तुलाई सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के समक्ष करनी होगी तथा तुलवाने की समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
8. विभिन्न प्रजाति की घासों एवं फसलों की कटाई सतह से 5 से 10 सेमी0 ऊकृाई से काटना होगा तथा सुखाकर सम्बन्धित भेड़ो के बाड़े पर डालकर ढेर लगाना होगा। विभिन्न फसलों इत्यादि का दाना निकाल कर अनुभाग में जमा करवाना होगा तथा चारे को भेडों के बाडे पर डालना होगा।
9. पौधों की छंगाई सक्षम अधिकारी के निर्दे ाानुसार करनी होगी।
10. अवांछनीय झाड़ियों की जड़ों को कम से कम 1 से 2 फीट कि गहराई तक खोदकर निकालना होगा।
11. वृक्षारोपण हेतु 2 फीट लम्बाई, 2 फीट चौड़ाई व 2 फीट गहराई आकार के गड्ढे खोदने होगें उनमें खाद एवं मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाना होगा।
12. **<u>अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रत्येक मद में होने वाले खर्चे को मध्य नजर रखते हुये दर प्रस्तुत करे, क्योंकि किसी भी कार्य को परिस्थितिव ा घटाया बढाया भी जा सकता हैं।</u>**
13. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब अध्यक्ष,प ु पो ाण विभाग व उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगे उसके बाद ही भुगतान किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नही किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार भूगतान किया जावेगा।

कटौतियाकृ

1. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुसंधान कार्य एवं फसल चक्र पूरा हॅंने तक प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चौरी/क्षति पहुकृाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद जमा करनी होगी अन्यथा उनके देय बिल से काट ली जावेगी ।
2. प्रयँ गात्मक प्रक्षेत्रों की पूर्ण रखवाली एवं रखरखाव की जिम्मेदारी अनुबन्धकरर्ता की हॅं गी । आव यकता होने पर रात्रि में फसलों की रखवाली स्वयं अनुबन्धकर्ता को करनी होगी। रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत देय बिल मे से की जावेगी। नुकसान का आकंलन सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
3. variation clause subject to force measure को देखते हुए प्रस्ताव की तय की गई नि िचत मात्रा से 20 प्रति ात कम या 20 प्रति ात अधिक होने पर कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा । परन्तु प्रस्ताव की तय की गई नि िचत मात्रा से 20 प्रति ात से कम होने की द ाा में, 20 प्रति ात से कम हुई उत्पादन की मात्रा पर 10 प्रति ात की कटौती की जा सकती है । इसी तरह तय की गई नि िचत मात्रा से 20 प्रति ात से अधिक होने की द ाा में 20 प्रति ात से अधिक उत्पादन की मात्रा पर 90 प्रति ात का ही भुगतान किया जावेगा ।

   जैसेः यदि प्रस्ताव में उत्पादन की मात्रा 1000 क्विंटल रखी गई है यदि यह निर्धारित मात्रा 20 प्रति ात कम उत्पादन होने पर अर्थात 800 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि इसकी उत्पादन मात्रा 800 से घटाकर 700 क्विंटल ही रह जाती है तो उस स्थिति में कम उत्पादन मात्रा 100 क्विंटल पर 10 प्रति ात कम करके अर्थात 690 मात्रा का ही भुगतान अनुबंधकर्त्ता को किया जा सकेगा ।

ठीक इसी तरह यदि नि चित की गई उत्पादन मात्रा 1000 क्विंटल है 20 प्रति ात अधिक मात्रा उत्पादित होने पर अनुबंधकर्त्ता को अर्थात 1200 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि उत्पादित मात्रा 1200 से बढकर यदि 1400 क्विंटल हो जाने पर ऐसी स्थिति में 200 क्विंटल अधिक मात्रा पर 90 प्रति ात मात्रा का ही भुगतान किया जावेगा । अर्थात कुल मात्रा 1380 क्विंटल का ही अनुबंधकर्त्ता को भुगतान देय होगा ।

<u>अनुबन्ध की सामान्य नियम व ार्तें:</u>

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदे ा जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आव यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समक्षा जावेगा।
3. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
4. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदे ा प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना अध्यक्ष, प ु पोषण से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दि ाा–निर्दे ाानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत रा ि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
5. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ ि ाष्टता का व्यवहार करना होगा।
6. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतो ाजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी। साथ ही भवि ाय में कोई अनुबन्ध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा।
7. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल रा ि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
8. संबंधित वित्तीय व ार् में या समय–समय पर होने वाले सं ाोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज रा ि की भी कटौती की जावेगी।
9. ठेकेदार को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
10. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर अध्यक्ष, प ु पोषण को प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आव यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
11. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति रा ि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अव यक करवा लें।
12. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि को जब्त कर लिया जावेगा।
13. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मागने पर प्रस्तुत करना होगा।
14. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदे ाक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
15. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
16. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदे ा को निरस्त करने का पूर्ण

अधिकार सुरक्षित है।

17. सफल ठेकेदार को 100/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
18. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
19. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।